

भू-हदबन्दी

प्रपत्र-3

क्र० सं०	जिला का नाम	अंचल का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	पर्याधारी का नाम	बन्दोबस्त की भूमि की प्रकृति	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा	चौहदी				भूमि आवंटन की तिथि	भौतिक रूप से दखल कब्जा दिलाने की कार्रवाई की तिथि	दाखिल खारजि/ लगान निर्धारण की तिथि जिन मामलो में जमाबंदी नहीं खुली है।	अभ्युक्ति
									उ०	द०	पु०	प०				
1	सारण	रिविलगंज	भादपा	श्री गणेश चौधरी बल्द प्रहलाद चौधरी सा० भादपा	भू-हदबन्दी	76	258	0.29डी	बुधन मिश्र	मठिया	धर्मनाथ चौधरी	बैजनाथ चौधरी	5/80-81	समहर्ता छपरा के विविध याद सं० 25/1988 में माननीय उच्च न्यायलय के CWJC सं० 7330/88 के आलोक में उक्त भूमि को भूहदबन्दी से मुक्त किया गया है।	माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भूमि को भू-हदबन्दी से मुक्त किया गया है जिस कारण से दखल नहीं दिलाया जा सकता है।	

2	सारण	रिविलगंज	भादपा	श्री केदार चौधरी वल्द छडीलाल चौधरी	भू-हदबन्दी	76	250 259	0.12डी 0.11डी	धर्म चौधरी	वैजनाथ चौधरी	राघा किशुन सिंह	नठिया	5/80-81	समहत्ता छपरा के विविध वाद सं० 25/1988 में माननीय उच्च न्यायलय के CWJC सं० 7330/88 के आलोक में उक्त भूमि को भूहदबन्दी से मुक्त किया गया है।	माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भूमि को भू-हदबन्दी से मुक्त किया गया है जिस कारण से देखल नहीं दिलाया जा सकता है।
3	सारण	रिविलगंज	भादपा	श्री धर्मनाथ चौधरी वल्द छडीलाल चौधरी	भू-हदबन्दी	76	250	0.20डी	शिवनाथ चौधरी	केदार चौधरी	रामदेव राय	गणेश चौधरी	5/80-81	समहत्ता छपरा के विविध वाद सं० 25/1988 में माननीय उच्च न्यायलय के CWJC सं० 7330/88 के आलोक में उक्त भूमि को भूहदबन्दी से मुक्त किया गया है।	माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भूमि को भू-हदबन्दी से मुक्त किया गया है जिस कारण से देखल नहीं दिलाया जा सकता है।

Om

4	सारण	रिविलगंज	भादपा	श्री वैजनाथ चौधरी वल्द छटीलाल चौधरी	भू-हदबन्दी	76	259	0.24डी	केदार चौधरी	महेन्द्र राय	गणेश चौधरी	बलिराम	5/80-81	समहर्ता छपरा के विधि वाद सं० 25/1988 में माननीय उच्च न्यायलय के CWJC सं० 7330/88 के आलोक में उक्त भूमि को भूहदबन्दी से मुक्त किया गया है।	माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भूमि को भू-हदबन्दी से मुक्त किया गया है जिस कारण से दखल नहीं दिलाया जा सकता है।
5	सारण	रिविलगंज	भादपा	श्री शिवनाथ चौधरी वल्द गागु चौधरी	भू-हदबन्दी	76	250	0.19डी	संत दुसाध	धर्मनाथ चौधरी	रामदेव राय	गणेश चौधरी	5/80-81	समहर्ता छपरा के विधि वाद सं० 25/1988 में माननीय उच्च न्यायलय के CWJC सं० 7330/88 के आलोक में उक्त भूमि को भूहदबन्दी से मुक्त किया गया है।	माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भूमि को भू-हदबन्दी से मुक्त किया गया है जिस कारण से दखल नहीं दिलाया जा सकता है।

(Handwritten signature)